शिकायतों की संख्या कितनी है तथा इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या इस निगरानी कक्ष में एकत्रित जानकारी गोपनीय होती है और क्या संसद सदस्यों ने इस संबंध में अब तक कोई जानकारी मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एंटनी) : (क) से (च) सुपर बाजार में निम्नलिखित गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिये एक मानीटरिंग कक्ष कार्य कर रहा है:—

(1) क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों तथा छोटी शाखाओं में पिछले दिन की नकद बिक्री;

(2) क्षेत्रीय बिक्री केन्द्रों में 30 प्राथमिकता वाली वस्तुओं के स्टाक की स्थिति;

(3) 26 गौण वस्तुओं के स्टाक की स्थिति ;

(4) संसाधन एककों का पिछले दिन का उत्पादन तथा उत्पादकता ;

(5) पैकिंग/पिसाई एककों का पिछले दिन का उत्पादन तथा उत्पादकता ; और

(6) कोई अन्य आकस्मिक सूचना ।

कुल मिलाकर 6 कर्मचारी अर्थात् श्री एच०आर० बावेजा, वरिष्ठ पर्यवेक्षक; श्रीमती बीना मल्होत्रा, कनिष्ठ पर्यवेक्षक; श्रीमती विमल शर्मा, बिक्री सहायक; श्रीमती सरस्वती सक्सेना, बिक्री सहायक; श्री संदीप अरोड़ा, टाइपिस्ट तथा श्री सूरज पाल, हेल्पर सुपर बाजार के मानीटरिंग कक्ष में कार्य कर रहे हैं ।

सुपर बाजार ने सूचित किया है कि मानीटरिंग कक्ष में कार्य कर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और कक्ष में एकत्र की जाने वाली सूचना गोपनीय स्वरूप की नहीं है । अभी तक किसी संसद सदस्य ने इस बारे में कोई सूचना नहीं मांगी है ।

उत्तर प्रदेश को वस्तुओं का आवंटन

1. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को किन-किन वस्तुओं का तथा कितनी कितनी मात्रा में आवंटन किया गया है ;

(ख) चालू वर्ष में सभी वस्तुओं का कम मात्रा में आवंटन किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन वस्तुओं का आवंटन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की आबादी, पिछड़ेपन, गरीबी आदि बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है और यदि हां, तो इन मानदण्डों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त कार्य प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केंद्रीय सरकार सभी राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश शामिल है, को चावल, गेहूं, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक तथा आयातित खाद्य तेल का आवंटन करती है एक विवरण दिया गया है (नीचे देखिए) जिसमें 1991, 1992 व 1994 में उत्तर प्रदेश को आबंटित चावल, गेहूं लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, साफ्ट कोक तथा मिट्टी के तेल की मात्रा दर्शायी गई है ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आबंटनों में कोई कमी नहीं की गई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को गेहूं तथा चावल के मासिक आबंटनों में हाल में वृद्धि की गई है । देश में खाद्य तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण चालू वर्ष के दौरान किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आयातित खाद्य तेल का नियमित आधार पर आबंटन नहीं किया गया है ।

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय पूल में समग्र स्टाक, मौसमजन्य उपलब्धता तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिनमें उत्तर प्रदेश शामिल है, खाद्यान्न का आबंटन किया जाता है । लेवी चीनी आमतौर पर 1-10-1986 की अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान प्रतिमान पर आबंटित की जाती है । केंद्रीय सरकार ने अगस्त, 1991 से उत्तर प्रदेश सहित, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी के आबंटनों में 5% की तदर्थ वृद्धि की है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और उनका प्रयोजन किसी भी राज्य की समूची आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता है ।

विवरण

1991, 1992 व 1993 में उत्तर प्रदेश को चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, साफ्ट कोक तथा मिट्टी के तेल की आबंटित मात्रा दर्शाने वाला विवरण।

(आबंटन हजार मी. टन में)

वस्तुएं	1991	1992	1993 (अगस्त तक)
चावल	363.00	419.80	328.46
गेहूं	779. 9	718.81	474.46
लेवी चीनी	664.31	682.78	444.56
आयातित खाद्य तेल	7.0	4.5	शून्य*
मिट्टी का तेल	908.1	909.2	598.60
साफ्ट कोक	240.00	240.00	160.00

* इस समय देश में देशीय खाद्य तेल की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसका न तो आयात किया जा रहा हैं और न ही इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए राज्यों को आबंटित किया जा रहा है।